

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 32 : Prohibition of unauthorized collection of tax

- (1) A person who is not a registered person shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax under this Act.
 - (2) No registered person shall collect tax except in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder.
-

धारा 32 : कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध

- (1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संग्रहीत नहीं करेगा।
 - (2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा।
-